मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल</u>

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /02/2022

कमांक/एफ 12–04/2020/सत्रह/मेडि–1/ :: कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी, म.प्र. के पत्र 1034/आर.डी.एम./2020, सीधी दिनांक 09.11.2020 द्वारा थाना चुरहट, जिला सीधी के अपराध कमांक–219/2020, धारा 306, 120बी, भा.द.वि. में आरोपी कुमारी अंजना मर्सकोले पुत्री श्री राधेलाल मर्सकोले, स्टाफ नर्स, सी.एच.सी. चुरहट जिला सीधी, श्री ए. एच. सिद्धिकी पिता श्री अब्दुल हमीम, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डे पिता स्व. श्री आदित्य प्रसाद पाण्डे, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, एवं डॉ. आर.एल. वर्मा, सी.एम.एच.ओ. सीधी के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 के प्रावधान अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ अभिलेखों के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :– दिनांक 27.01.2019 को डॉ. शिवम मिश्रा, मेडिकल ऑफीसर, सी.एच.सी. चुरहट द्वारा शासकीय निवास गृह के अंदर फासी लगाकर आत्महत्या कर लिये जाने पर थाना चुरहट में मर्ग कमांक 6/19 धारा 174 जा.फौ. की कायमी की गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2019 द्वारा मजिस्ट्रीयल जांच आदेशित की गई। मजिस्ट्रीयल जांच के निष्कर्ष में स्टाफ नर्स कुमारी अंजना मर्सकोले द्वारा द्वेष भावना से षडयंत्र पूर्वक साजिश रच कर डॉ. शिवम मिश्रा को एस.सी./एस.टी. एक्ट में फसाया गया। उक्त साजिश में नेत्र सहायक श्री ए. एच. सिद्धिकी एवं वाहन चालक श्री के.के. पांडे शामिल होकर गवाह बने एवं डॉ. आर.एल.वर्मा द्वारा प्रकरण के संबंध में आरोपियों को साजिश में सहयोग किया गया, जिससे प्रताड़ित होकर डॉ. शिवम मिश्रा को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना चुरहट में दिनांक 20.04.2020 को अपराध कमांक 219/20 धारा 306, 120 बी, भा.द.वि. का पंजीयन किया गया।

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपियों के संबंध में उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी से प्राप्त की जावे। आरोपियों के संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी से पत्र दिनांक 04.05.2021 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कुमारी अंजना मर्सकोले, स्टाफ नर्स को संविदा कर्मचारी एवं श्री कृष्ण कुमार पांडे को वाहन चालक कन्टिनजेसी बताया गया है तथा शेष को नियमित कर्मचारी बताया गया। आरोपी कुमारी अंजना मर्सकोले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेश कमांक 7380, दिनांक 26.04.2021 द्वारा कुमारी मर्सकोले की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2021 में पुनः प्रकरण विचारार्थ रखा गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कुमारी अंजना मर्सकोले पुत्री श्री राधेलाल मर्सकोले, स्टाफ नर्स, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी को छोड़कर शेष आरोपियों श्री ए.एच. सिद्धिकी पिता श्री अब्दुल हमीम, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डे पिता स्व. श्री आदित्य प्रसाद पांडे, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, डॉ. आर.एल. वर्मा, तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. सीधी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

......2......

4/ तदनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ–15–1/2014/1–10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री ए.एच. सिद्धिकी पिता श्री अब्दुल हमीम, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डे पिता स्व. श्री आदित्य प्रसाद पांडे, सी.एच.सी. चुरहट, जिला सीधी, डॉ. आर.एल. वर्मा, तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. सीधी के विरूद्ध थाना चुरहट, जिला सीधी के अपराध कमांक 219/20 धारा 306, 120बी भा.द.वि में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता धारा 197 के प्रावधान अनुसार अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.कमांक/एफ 12–04/2020/सत्रह/मेडि–1/ **भोपाल, दिनांक 11/02/2022**

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला–सीधी, म.प्र.।
5. जिला मिजिस्ट्रेट, जिला–सीधी की ओर पत्र कमांक 1034/आर.डी.एम./2020, दिनांक 09.11.2020 के संदर्भ में प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला–सीधी की ओर पत्र कमांक 10832–ए, दिनांक 03.11.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी, म.प्र.।
9. आदेश नस्ति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग